

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम, बिहार।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत, बिहार।

पटना, दिनांक-18/11/19

विषय:- ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 अधिसूचित है जिसके तहत लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग, प्राधिकार से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना है। पर्व त्योहारों एवं अन्य अवसरों पर लाउडस्पीकर के उपयोग एवं पटाखा आदि छोड़ने के कारण ध्वनि तथा वायु प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है। राज्य में लागू Bihar Control of the Use and Play of Loudspeaker Act 1955 के तहत रात्रि 10:00 बजे से सुबह के 6:00 बजे के बीच प्राधिकार की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतः वर्जित है। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 248 एवं 249 के तहत नगर निकाय क्षेत्र में प्रदूषण स्तर के अनुश्रवण तथा ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधी जिम्मेदारी नगर निकायों को ही दी गयी है।

ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में समय-समय पर माननीय न्यायालयों द्वारा आदेशित किया जाता रहा है, परन्तु स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो रहा है।

वाहनों में उच्च तीव्रता के मल्टी टोन्ड होने का उपयोग प्रतिबंधित करने तथा शोर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से घोषित शांत क्षेत्रों में 'शांत क्षेत्र' का बोर्ड लगाने हेतु विभागीय पत्रांक-3260 दिनांक-19.12.2018 एवं पत्रांक-1189 दिनांक-03.05.2019 द्वारा आपको निदेशित भी किया गया है। शांत क्षेत्र में लाउडस्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली या कोई शोर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र तथा भोपू निर्माण मशीन का उपयोग एवं पटाखों का फोड़ा जाना दिन में भी वर्जित है।

ध्वनि स्तर मानकों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रवर्गों के सीमाकन संबंधी अधिसूचना पुनः संलग्न की जाती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा शांत क्षेत्र का बोर्ड लगाने तथा उस संबंध में की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अद्यतन अप्राप्त है।

अनुरोध है कि उक्त के संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु0-यथोक्त।

विश्वसभाजन,

17/11/2019
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

(8)

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना-पर्या०/वन-05/2010

/प०व०, पटना-15, दिनांक-

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 के नियम 3 उप नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त नियम की अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर मानकों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से राज्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं शान्त क्षेत्रों को निम्न प्रकार से प्रवर्गीकृत करती है:-

क्षेत्र का कोड	क्षेत्र का प्रवर्ग	प्रवर्ग का सीमांकन
(क)	औद्योगिक क्षेत्र	बस टर्मिनल, रेलवे लाइन तथा रेलवे स्टेशन (वर्तमान एवं प्रस्तावित), हवाई अड्डा, औद्योगिक परिसर तथा वे सभी क्षेत्र जो सरकारी अभिलेखों में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में दर्शाये गये हैं अथवा भविष्य में दर्शाए जाएंगे।
(ख)	वाणिज्यिक क्षेत्र	सिनेमा एवं थियेटर, क्लब एवं वे सभी क्षेत्र जो सरकार के द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र तथा सिटी सेन्टर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नेबरहुड सेन्टर, होल सेल सेन्टर, मॉल एवं कामर्शियल स्ट्रीट (रिटेल सेन्टर) के रूप में दर्शाये गये हैं अथवा भविष्य में दर्शाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र औद्योगिक, आवासीय या शांत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आयेंगे।
(ग)	आवासीय क्षेत्र	वे सभी क्षेत्र जो सरकारी अभिलेखों में आवासीय क्षेत्र के रूप में दर्शाये गये हैं अथवा भविष्य में दर्शाए जाएंगे।
(घ)	शांत क्षेत्र	उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय, विधान मंडल, राजभवन, जैविक उद्यान सहित राज्य में स्थापित अन्य उद्यानों से 100 मीटर की दूरी का क्षेत्र, कम्युनिटी फैंसिलिटीज (सामुदायिक सुविधायें) के अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, श्मशान घाट तथा कब्रिस्तान, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एवं आर्किलॉजिकल स्थल से 100 मीटर की दूरी का क्षेत्र तथा सभी वन्यप्राणी संरक्षित आश्रयणी के आस-पास का ईको-सेंसेटिव जोन।

(1) यदि कोई क्षेत्र शांत क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र दोनों में पड़ता है, तो उसमें शांत क्षेत्र का मानक लागू होगा।

(2) शांत क्षेत्रों में संबंधित संस्थान द्वारा "शांत-क्षेत्र" का बोर्ड लगाया जायेगा।
शैक्षणिक-संस्थान एवं अस्पताल का वही अर्थ होगा जो ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 के नियम 2 (ड) एवं (च) में दिया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-पर्या०/वन-05/2010

/प०व०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-(ई०) गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- पर्या०/वन-05/2010

/प०व०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:—सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/माननीय उप मुख्य (पर्यावरण एवं वन) मंत्री के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, /सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- पर्या०/वन-05/2010 407 (50) /प०व०, पटना-15, दिनांक-05/04/18

प्रतिलिपि:—आई०टी०मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।